A/7

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) नगर (भरतपुर) कैम्प खेड़ली
पीठासीन अधिकारी चिमन लाल मीना आर.ए.एस.
वाद सं. 171/13

करता सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति सिख नि. ग्राम गढ़ खेड़ली तह. नगर जिला भरतपुर हाल आबाद कच्छ भुज नानक नगरी गुरुद्वारे का पुजारी (गुजरात)

.. वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नगर (भरतपुर) — असल प्रति.
2. जय सिंह पुत्र स्व. गंगा सिंह जाति सिख नि. गढ़ खेड़ली तह. नगर — फोरमल प्रति.

दावा अन्तर्गत धारा 88-89 R.T.Act

निर्णय

दिनांक 29.6.16

वादी ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि हाल अरा. ख. नं. $\frac{3547}{0.65}$, $\frac{3545}{1.14}$ वाके ग्राम फुटाकी खेड़ली तहसील नगर में स्थित है। ख. नं. $\frac{3547}{0.65}$ के 2/3 हि. पर तथा ख.नं. $\frac{3545}{1.14}$ पर वादी तथा फोरमल प्रति. के मृतक पिता गंगा सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसके स्थान पर वादी एवं प्रतिवादी सं 2 अपना नाम बतौर वारिसान दर्ज कराने का अधिकारी है। रि. आ. पर गंगा सिंह का नाम बहैसियत गैर खातेदार दर्ज किया जा रहा है जो कानूनन गलत है, कानूनन खातेदार की हैसियत से इन्द्राज होने चाहिए जिसकी वजह वादी एवं प्रति. सं 2 का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज कराने के अधिकारी है। अंत में निवेदन किया है कि दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजि. किया जाकर प्रति. को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वि. ग्राम करस्टोडियन की गैर खातेदारी की भूमि है, जिस पर [illegible] नगद जमा कराने के बाद ही [illegible] खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं, राज्य सर[illegible] यह प्रतिवाद किये हैं। अंत में निवे[illegible] वादी खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:29:06 IST
Reason: SelfAttested

दावा एवं जवाब दावा के आधार पर दिनांक —

ACEM नगर

Scanned with CamScanner

8

05-5-11 को निम्न तनकी कायम की गई —

1- आया ख.नं. $\frac{3547}{0.65}$ के 2/3 हि. व ख.नं. $\frac{3545}{1.14}$ का सालिम रकबा वाके ग्राम फुटाकी कोहली वादी एवं तनकीवी प्रतिवादी जयसिंह के मृतक पिता गंगासिंह के स्थान पर अपना नाम विरासतन कराने के अधिकारी हैं तथा गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं। — जिम्मे वादी

2. आया राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप कीमत जमीन व सूद जमा कराने के बाद ही खातेदारी लायक है? — — पैरोकार सरकार

3- दादरसी?

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी सम्वत 2064-67 Ex.P.1 दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं तथा मौखिक साक्ष्य में वादी काला सिंह PW1, गवाह स्वर्ण सिंह PW2, हरनामसिंह PW3 के बयान (शपथ-पत्र) प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

हमने कैम्प के दौरान मजमे आम में पत्रावली का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं. 2064-67 के खाता क्रं 560 पर ख.नं. $\frac{3547}{0.65}$ की बाबत — " गंगासिंह वल्द जिवायसिंह 2/3 हि. अमरसिंह वल्द कन्धासिंह 1/3 हि. कौम सिख सा. देहली गैर खातेदार " दर्ज है तथा खाता क्रं 561 पर आ.सं. $\frac{3545}{1.14}$ की बाबत — " गंगा सिंह वल्द जिवाय सिंह कौम रायसिख सा. देह गैर खातेदार " दर्ज होना पाया जाता है। वादी द्वारा वि 370 की कस्टोडियन भूमि की कीमत जमीन व सूद जमा-कराये जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है चूंकि वि. आ. कस्टोडियन भूमि है जिस पर खातेदारी देने हेतु राज्य-सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप-10 पुनर्वास विभाग राज. जयपुर परिपत्र क्रमांक प.1(15) राज. पुनर्वास 2009 जयपुर दि. 30.3.02 के अनुसार खातेदारी प्रदान की जा सकती है। जहाँ तक मृतक गंगासिंह की विरासत दर्ज करने का प्रश्न है, उसके लिए वादी तहसीलदार नगर के समक्ष कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.08.25 15:29:06 IST
Reason: SelfAttested

अतः आदेश ... वादी खारिज खारिज किया जाता है। ... ... जावे हो।

निर्णय आज दि. ... कौम खोहली से मजमे आम में सुनाया गया।

(सिमरन साल मीना)
सहायक कलक्टर
(कामां क)
नगर (भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner